शिक्षा विभाग
कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण
(प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा)
शिक्षा भवन, न्यू कॉलोनी, डाक बंगला रोड, बेतिया।
E-mail-ssawchamparan@gmail.com

पत्रांक: / दिनांक:

पश्चिम चम्पारण जिला के सभी 18 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के कय हेतु उनके पैकेजों की न्यूनतम दर निर्धारण हेतु खुली निविदा आमंत्रण —

1. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना के पत्रांक KGBV/52/2019-20/981 दिनांक 20.02.2023 एवं पत्रांक KGBV/52/2019-20/2506 दिनांक 27.04.23 के आलोक में पश्चिम चम्पारण जिले के सभी 18 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का कय जिला स्तरीय कय समिति द्वारा किया जाना है। कय किये जानेवाली सामग्रियों को उनकी उपयोगिता के अनुसार विभिन्न पैकेजों में वर्गीकृत किया गया है। उक्त पैकेजों का न्यूनतम दर निर्धारण के लिए खुली निविदा आमंत्रित गयी है। निविदा की सामान्य शर्तें निम्न प्रकार हैं —
2. निविदा दाता को द्वि–लिफाफा पद्धति के अनुसार पैकेजवार तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा के अन्दर रखकर सीलबन्द करने के उपरांत तीसरे एक बडे लिफाफे में डालकर जिला स्तरीय कार्यालय 2nd Floor, शिक्षा भवन, न्यू कॉलोनी, बेतिया में सिर्फ निबंधित डाक से समर्पित करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक लिफाफा के उपर पैकेज का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। तकनीकी निविदा में सफल पाये जाने पर हीं वित्तीय निविदा खोली जायेगी। वित्तीय एवं तकनीकी निविदा एक साथ लिफाफे में पाये जाने पर, उसपर विचार नहीं किया जायेगा।
3. प्रत्येक पैकेज की निविदा के साथ अग्रधन की राशि से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। पैकेजवार टर्न ओवर एवं अग्रधन की राशि निम्नवत है —

कम सं०	पैकेज सं०	पैकेज का विवरण	अग्रधन की राशि	वार्षिक टर्न ओवर की राशि
01	01	खाद्य सामग्री	90,000/—	40,00,000/—
02	02	पोशाक	54,000/—	
03	03	दैनिक उपयोग की वस्तु	54,000/—	
04	04	स्टेशनरी	54,000/—	
05	05	बर्त्तन	72,000/—	
06	06	इलेक्ट्रीक (विद्युत) सामग्री	90,000/—	
07	07	फर्निचर/बेडिंग	72,000/—	

4. अग्रधन की राशि का डिमांड ड्राफ्ट In favour of *"BEP-Other Fund West Champaran"* Payable at Bettiah, West Champaran के नाम से देय होगा।
5. निविदादाता को ट्रेड अनुज्ञप्ति (वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण–पत्र) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिहार राज्य से बाहर के निविदादाता को उसे बिहार में वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा दाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का औसतन वार्षिक टर्न ओवर 40 लाख या इससे अधिक का होना अनिवार्य है। सत्यापन के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड प्राफिट एवं लॉस और बैलेंस शीट संलग्न करना होगा। निविदा दाता एक साथ सभी 7 पैकेज के लिए 40 लाख या उससे अधिक का टर्न ओभर का कागजात संलग्न कर निविदा दे सकते है।
8. खाद्य सामग्री (पैकेज सं० 1) की आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदादाता को FSSAI/एगमार्क (खाद्य अपमिश्रण अद्यतन प्रमाण–पत्र) का सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा। निविदादाता को आवासीय विद्यालय अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य संस्थान में खाद्य सामग्री आपूर्ति का अनुभव होना चाहिये। इसके लिए Work Order तथा भुगतान का साक्ष्य संलग्न करना होगा।
9. पोशाक आपूर्ति हेतु दर निर्धारण के लिए अच्छी गुणवत्ता, निर्धारित पोशाक का रंग एवं न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. निविदादाता द्वारा केन्द्र पर आपूरित की जाने वाली खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग सामग्री की एक्सपायरी डेट (Expiry Date)) न्यूनतम छः माह बाद की होनी चाहिए। साथ हीं आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों का बैच नं० अंकित होना चाहिए।

CamScanner

शिक्षा विभाग
कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण
(प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा)
शिक्षा भवन, न्यू कॉलोनी, डाक बंगला रोड, बेतिया।
E-mail-ssawchamparan@gmail.com

पत्रांकः / दिनांकः

11. निविदादाता को सामग्रियों की दर के.जी.बी.भी. में पहुचाने हेतु परिवहन शुल्क एवं सभी कर सहित अंकित करना होगा एवं सामग्री की कंपनी/मार्का भी निविदा के साथ अंकित करना होगा।
12. निविदादाता द्वारा किसी भी एक शर्त्त का पालन नहीं करने पर एवं आवश्यक कागजात निविदा के साथ संलग्न नहीं करने पर उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में सामग्रियों के अंकित मूल्य MRP से अधिक दर नहीं होना चाहिये।
13. निविदादाता को 100 रू० के नन जुडिसियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि उन्हे बी.ई.पी. अथवा किसी भी सरकारी संस्था द्वारा विवादित अथवा काली सूची में नहीं डाला गया है। पश्चिम चम्पारण अन्तर्गत संचालित के.जी.बी.भी. में आपूर्ति नहीं करने/बाधित आपूर्ति के लिए जिस प्रतिष्ठान को पूर्व में कार्य करने से रोका गया है, वैसे प्रतिष्ठान इस निविदा की प्रकिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
14. निविदा की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस तक निविदा स्वीकार की जायेगी।
15. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को सामग्रियों के पर्याप्त नमूना के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य है।
16. अधिकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश के साथ किसी भी प्रकार की राशि अग्रिम के रूप में भुगतान नहीं होगी। सामग्री की गुणवत्ता, विशिष्टता के साथ न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी जायेगी। सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टता निर्धारित करने की शक्ति जिला स्तरीय के.जी.बी.भी. कय समिति के पास होगी।
17. पोशाक के मामले में संबंधित कस्तुरबा विद्यालय में दर्जी रखकर बच्चियों की मापी के अनुसार सिलाई कराना होगा। साथ हीं कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर पोशाक उपलब्ध कराना होगा।
18. भुगतान की कार्रवाई आपूरित सामग्री एवं उसके नमूना से मिलान के पश्चात संबंधित के.जी.बी.भी. के द्वारा किया जायेगा।
19. सफल निविदादाता को खाद्य सामग्री की आपूर्ति कय आदेश निर्गत की तिथि से 7 दिन एवं अन्य सामग्रियों के लिए कय आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अन्दर आपूर्ति की जानी होगी। ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में 1000/- एक हजार रू० प्रतिदिन के दर से विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया जायेगा जिसकी कटौती संबंधित के.जी.बी.भी. द्वारा आपूर्तिकर्त्ता के भुगतान की राशि में से की जायेगी।
20. यदि कोई निविदादाता आपूर्ति आदेश स्वीकार करने के उपरांत निर्गत कय आदेश की तिथि से एक माह के पश्चात भी सामग्री की आपूर्ति नहीं करता है अथवा सामग्री आपूर्ति करने से इन्कार कर देता है तो वैसी परिस्थिति में उक्त आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुये **Blacklist** करने की अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।
21. आपूतिकर्त्ता द्वारा वस्तुओं/सामग्रियों/सामानों/पोशाक आदि के उद्धृत दर तथा उन सामग्रियों का बाजार मूल्य में अत्यधिक विचलन (सामान्य बाजार मूल्य से अत्यधिक कम अथवा अधिक) नहीं होना चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार के **CVC Guideline** का निम्न रूपेण पालन किया जाना है। ..... *An Abnormally Low Bid is one in which the bid price, in combination with* other elements of the Bid, appears so low that it raises material concerns as to the capability of the bidder to perform the contract at the offered price. Procuring Entity may in such cases seek written clarifications from the bidder, including detailed price analyses of its bid price in relation to scope, schedule, allocation of risks and responsibilities, and any other requirements of the bids document. If, after evaluating the price analyses, Procuring Entity determines that the bidder has substantially failed to demonstrate its capability to deliver the contract at the offered price, the Procuring Entity may reject the bid/proposal. However it would not be advisable to fix a normative percentage below the estimated cost, which would be automatically be considered as an abnormally low bid. Due care should be taken while formulating the specifications at the time of preparation of bid document so as to have a safeguard against the submission of abnormally low bid from the bidder.
22. निर्धारित नमूने के अनुसार तथा ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं होने पर अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी एवं बाजार मूल्य से खरीदने पर उसकी अन्तर राशि का भुगतान संबंधित प्रतिष्ठान को करना होगा।
23. अधोहस्ताक्षरी के पास निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत एवं इस निविदा को आंशिक/पूर्णतः रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

CS CamScanner

शिक्षा विभाग

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण

(प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा)

शिक्षा भवन, न्यू कॉलोनी, डाक बंगला रोड, बेतिया।
E-mail-ssawchamparan@gmail.com

पत्रांकः / दिनांकः

24. अगर L1 दर वाले निविदाकर्त्ता किसी कारणवश जैसे कि गुणवत्ता खराब रहने के कारण अथवा समय से सामग्री आपूर्ति नहीं करने के कारण असफल रहते हैं तो अगर L2 निविदाकर्त्ता L1 के दर पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राजी रहते हैं तो, उन्हे भी कार्यादेश निविदा समिति के सहमति से निर्गत किया जा सकता है।
25. निविदा संबंधी शर्तें तथा पैकेजवार सामग्री की विवरणी कार्यालय अवधि में निर्धारित तिथि तक कार्यालय से हाथों–हाथ प्राप्त किया जा सकता है अथवा इसे विभागीय वेबसाईट WWW.SSAWESTCHAMPARAN.ORG अथवा जिला के NIC की वेबसाईट https://westchamparan.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

17/04/26

सचिव–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा, पश्चिम चम्पारण।

17/4/26

अध्यक्ष–सह–
उप विकास आयुक्त,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

CamScanner